विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-08/18

श्री संदीप पिता श्री तेज सिंह,
ग्राम मातापुर,
तहसील खकनार, जिला – बुरहानपुर (म0प्र0)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
बुरहानपुर (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 11.10.2019 को पारित)

01. श्री संदीप सिंह पिता श्री तेज सिंह, ग्राम मातापुर, तहसील खकनार, जिला – बुरहानपुर (म0प्र0) द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा जारी प्रकरण क्रमांक W0380217 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध लिखित अपीलीय अभ्यावेदन दिनांक 15.04.2018 को विद्युत लोकपाल कार्यालय में प्रस्तुत किया जो दिनांक 07.05.2018 को कार्यालय में प्राप्त हुआ ।

02. आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :–

(i) आवेदक को अनावेदक द्वारा घरेलु विद्युत कनेक्शन क्रमांक 01–19–1054–29–464406 घरेलु लाईट हेतु स्वीकृत भार 500 वॉट का प्रदान किया गया है जिसका औसत मासिक खपत 90 से 100 युनिट के आसपास दर्ज हुई है ।

(ii) आवेदक की और माह मार्च 2016 से माह जुलाई 2016 तक की अवधि में क्रमशः 717, 772, 551, 191 युनिट की राशि का अत्यधिक बिल जारी किया गया है जिस बाबत् आवेदक ने मीटर को प्रयोग शाला से जांच कराए जाने हेतु आपत्ति प्रस्तुत कर 100/–

रू0 मीटर जांच शुल्क का भुगतान दिनांक 23.07.2016 को अनावेदक के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत किया था ।

(iii) अनावेदक ने उक्त मीटर की जांच के संबंध में न तो कोई सूचना दी और ना ही उक्त मीटर को आवेदक के समक्ष जांच कराया अपितु समाधान योजना का बिना कोई आवेदक से आवेदन पत्र प्राप्त किए 26,368/– रूपए छब्बीस हजार तीन सौ अड़सठ रूपए में से उक्त योजना का लाभ प्रदान करते हुए 11,253 रू0 एवं अतिरिक्त 24,992/– रू0 की मांग की गई थी ।

(iv) आवेदक ने इस संबंध में माननीय अधीनस्थ इंदौर फोरम के समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत करते हुए उक्त मांग की जा रही 11,253/– रू0 एवं अतिरिक्त 24,992/– रू0 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

(v) उपरोक्त तारतम्य में अनावेदक द्वारा माननीय अधीनस्थ फोरम के समक्ष उक्त मीटर का जांच रिपोर्ट कथित पंचनामा एवं मीटर रीडिंग डायरी की छायाप्रति एवं कथित पंचनामे प्रति प्रस्तुत कर अपना जवाब प्रस्तुत किया जाकर उक्त दोनों राशि वसूली योग्य होना बताया था ।

(vi) उभयपक्षों के समस्त दस्तावेजों एवं तथ्यों के आधार पर माननीय अधीनस्थ फोरम द्वारा दिनांक 20.09.17 को आदेश पारित किया जाकर वर्तमान प्रकरण को प्रचलन योग्य ना होना पाते हुए निरस्त कर की और नहीं भेजी गयी है अर्थात् दिनांक 23.02.2018 को डाक लिफाफें के साथ अनावेदक के वितरण केंद्र के पत्र क्रमांक 797 दिनांक 23.0218 के साथ संलग्न कर प्राप्त हुई है जिसका आवेदक घोर विरोध करते हुए माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया जाता है ।

अपील के आधार :–

(i) माननीय अधीनस्थ फोरम के वर्तमान प्रकरण का गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करके जो आर्लोच्य आदेश पारित किया गया है वह अवधि के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(ii) माननीय अधीनस्थ फोरम ने वर्तमान प्रकरण की विधिक एवं तथ्यात्मक बिन्दुओं को गंभीरतापूर्वक नहीं समझ कर गंभीर भूल की है ।

(iii) माननीय अधिनस्थ फोरम ने अनावेदक के कथनों को बिना दस्तावेजी प्रकरण के विद्युत चोरी का मानते हुए जो प्रकरण को निरस्त किया है वह विधिक एवं नियम के विपरीत होने से आवेदक उक्त निष्कर्ष को भी चुनौती देता है ।

(iv) आवेदक माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष यह बात विशेष रूप से बताना चाहता है कि अनावेदक के आवेदक को ग्रामीण क्षेत्र में विगत कई वर्ष पूर्व मात्र 500 वाट का विद्युत कनेक्शन घरेलु उपयोग हेतु प्रदान किया गया है जिससे लगभग 500 वाट का ही उपयोग उपभोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है । क्या 500 वाट का उपयोग करने पर माह मार्च 2016 से माह जुलाई 2016 तक की अवधि में दर्ज हुई अत्यधिक विद्युत खपत : 717, 772, 551 और 191 युनिट की खपत दर्ज हो सकती है ? इस संबंध में अनावेदक द्वारा माननीय अधीनस्थ फोरम के समक्ष कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके पश्चात् भी माननीय अधिनस्थ फोरम ने अनावेदक के कथन को सही मानते हुए जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किए जाने योग्य है।

(v) माननीय अधीनस्थ फोरम ने इस तथ्य को भी नहीं समझ पाया है कि जब आवेदक ने उक्त मीटर को प्रयोग ''शाला में जांच कराए जाने हेतु 100/– रू0 की राशि का भुगतान किया था तो विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में दर्शित प्रावधान अनुसार उक्त कथित मीटर की जांच आवेदक के समक्ष क्यों नहीं कराई गई ? और उक्त मीटर की जांच के संबंध में आवेदक को क्यों सूचित नहीं किया गया। इतना ही नहीं उक्त तथा कथित मीटर जांच रिपोर्ट में आवेदक के विद्युत कनेक्शन पर जो मीटर स्थापित था उक्त मीटर की तथा कथित जांच रिपोर्ट नहीं है । इस तथ्य पर भी माननीय अधीनस्थ फोरम ने ध्यान नहीं दिया है इसलिए उक्त तथा कथित मीटर जांच रिपोर्ट आवेदक पर विधि अनुसार बंधनकारक नहीं है ।

(vi) आवेदक ने जो आरोप अनावेदक द्वारा आवेदक पर अधिरोपित किए गए थे उसका भी घोर विरोध किया था क्योंकि आवेदक का विद्युत कनेक्शन मार्च 2016 से माह जुलाई 2016 तक की विद्युत खपत दर्ज हुई थी तो फिर आवेदक द्वारा किस अवधि में विद्युत की चोरी आवेदक द्वारा की गई और आवेदक से अतिरिक्त 24,992/– रू0 की राशि कितनी अवधि की किस आधार पर गणना की गई इसके संबंध में भी अनावेदक द्वारा ऐसा कोई प्रमाण माननीय अधीनस्थ फोरम के

समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए विधि और नियम के विपरीत उक्त राशि होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(vii) आवेदक के साथ घोर अन्याय हुआ है यदि उसे सक्षम फोरम/न्यायालय से भी यदि संरक्षण नहीं मिलेगा तो आवेदक कहां अपनी फरियाद पेश कर सकेगा । क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि विद्युत विभाग के कर्मचारी/अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत सीधे साधे एवं कम पढ़े लिखे लोगों पर अपने पद का प्रभाव बताने के लिए झूठे एवं निराधार प्रकरण बना देते हैं, जिसका ग्रामीण निवासी अपनी अज्ञानता एवं ग्रामीण परिवेश के होने के कारण वह अपना समुचित बचाव नहीं ले पाते हैं जिसके कारण उन्हें बिना गलती की सजा भुगतना पड़ती है । जिसका एक मात्र उदाहरण वर्तमान प्रकरण है । जिस पर माननीय लोकपाल महोदय को विशेष रूप से ध्यान देना है।

(viii) अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि आवेदक के वर्तमान अभ्यावेदन पर गहनतापूर्व विशेष रूप से ध्यान दिया जाकर आवेदक से मांग की जा रही 11,253/– रू0 को रिवाईज्ड किए जाने एवं कथित 24992 रू0 की राशि निरस्त किए जाने के आदेश न्याय के समग्र हित में पारित करने की कृपा की जावे । तदानुसार विनय है ।

03. उक्त अपील प्रकरण क्रमांक एल00–08/18 में दर्ज कर दिनांक 07.06.2018 को सूचना पत्र जारी कर आवेदक एवं अनावेदक कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.), म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., बुरहानपुर (म.प्र.) को प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 19.07.2018 को आयोजित की जाने संबंधी सूचना–पत्र प्रेषित किया गया ।

तत्कालीन समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही । अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.04.2019 को नियत थी । चूंकि इस दिनांक को समस्त लंबित प्रकरण की सुनवाई एक ही दिन नियत की गई थी जो कि व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था, अतः सभी प्रकरणों की सुनवाई पुनः ही पुनर्निर्धारित (Re-schedule) की गई और प्रश्नाधीन प्रकरण में सुनवाई की दिनांक 30.04.2019 नियत की गई ।

04. दिनांक 30.04.2019 को प्रारंभिक सुनवाई आयोजित की गई जिसमें आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा अनावेदक की ओर से श्री कृष्णा कुमार जैसवाल, सहायक यंत्री उपस्थित ।

आवेदक द्वारा पूर्व में अपने पत्र दिनांक 04.10.2018 से पूर्व में अनावेदक द्वारा अपने लिखित प्रति–उत्तर क्र0 4404 दिनांक 09.10.2018 को डाक से प्रेषित पत्र में सूचित किया था कि ''श्री संदीप तेजसिंग, मातापुर, आवेदक को मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के तहत **''सरल बिजली बिल योजना''** में बिल दिया जा रहा है । संबंल योजना में पंजीकृत श्रमिकों तथा म0प्र0 भवन एव अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकारों पर दर्ज विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के अंतर्गत समस्त प्रि–लिटिगेशन मामलों के तहत श्री तेजसिंग को उनके श्रमिक पंजीयन नंबर 101885321 से लाभान्वित होकर माह जून 2018 तक कुल बकाया राशि 30223.00 का लाभ दिया गया दिनांक 08.09.2018 को आयोजित लोक अदालत में उपभोक्ता सम्मिलित होकर उक्त प्रकरण का पूर्ण रूप से निराकरण किया गया है । उनके द्वारा पत्र के साथ बिजली माफी का प्रमाण पत्र, बिजली का बिल एवं श्री संदीप तेजसिंग द्वारा प्रकरण समाप्त करने संबंधी उनको एवं माननीय विद्युत लोकपाल नियामक आयोग भोपाल को प्रस्तुत पत्र की छायाप्रति संलग्न की थी ।

05. सुनवाई दिनांक 30.04.2019 को अनावेदक द्वारा पुनः अपने पत्र क्र0 582 दिनांक 029.04.2019 के साथ प्रस्तुत किए गए जिसमें पुनः उनके द्वारा उक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए श्री संदीप पिता तेजसिंग, मातापुर, विद्युत लोकपाल को संबोधित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत की जिसमें आवेदक ने सूचित किया है कि उन्हें मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के तहत **''सरल बिजली बिल योजना''** का लाभ दिया जा चुका है, जिससे वे संतुष्ट हैं । इसी पत्र में उनके द्वारा सूचित किया कि उनके द्वारा विद्युत लोकपाल से प्रश्नाधीन प्रकरण क्र0 एल00–08/2018 वापस लेने हेतु मेरे अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

06. विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रकरण दर्ज होने की दिनांक 07.05.2018 से विद्युत लोकपाल के न होने से एक भी सुनवाई नहीं की जा सकी थी और दिनांक 30.04.2018 को पहली सुनवाई आयोजित की गई । प्रश्नाधीन प्रकरण की नस्ती का अवलोकन करने पर आवेदक के उक्त पत्र दिनांक 04.10.2018 का विद्युत लोकपाल कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया । चूंकि आवेदक की ओर से कोई लिखित आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त

नहीं हुआ है, अतः तत्समय प्रकरण को ऐसी स्थिति में निरस्त किया जाना उचित नहीं समझा गया ।

07. सुनवाई दिनांक 09.05.2019 को उभयपक्षों की अनुपस्थिति के कारण अगली सुनवाई दिनांक 04.06.2019 नियत की गई ।

08. दिनांक 04.06.2019 की सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा आवेदक का मूल पत्र दिनांक 04.10.2018 प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदक द्वारा निवेदन किया गया है कि *''मेरे प्रकरण में विद्युत कनेक्शन क्रमांक 105429 पर वर्तमान में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 ''सरल बिजली बिल योजना'' के तहत मेरा श्रमिक पंजीयन क्र0 101885321 में लाभांवित किया गया एवं योजना का लाभ भी दिया गया । जिससे मैं संतुष्ठ हूं । अतः मेरे द्वारा विद्युत लोकपाल म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग, भोपाल से प्रकरण क्रमांक एल 00–08/2018 अधिवक्ता के माध्यम से वापिस लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।''*

उक्त पत्र में उल्लेखित **''अधिवक्ता के माध्यम से वापिस लेने हेतु आवेदन''** आयोग में आज दिनांक तक अप्राप्त है, परन्तु अनावेदक द्वारा पत्र दिनांक 04.10.2018 के माध्यम से प्रस्तुत तथ्यों को तथा अनावेदक द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत आवेदक के मूल पत्र के अवलोकन से ज्ञात हो जाता है कि आवेदक के द्वारा प्रकरण में चाही गई राहत उसे प्राप्त हो चुकी है और अब वह संतुष्ट है और प्रकरण क्रमांक एल 00–08/2018 को वापस लेना चाहता है और प्रकरण का निराकरण हो जाने के कारण ही आवेदक सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ है ऐसा माना जाने का पर्याप्त आधार है ।

09. अतः आवेदक की लगातार अनुपस्थिति में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों/दस्तावेजों को ग्राहय करते हुए प्रश्नाधीन प्रकरण निर्णित होकर समाप्त किया जाता है ।

10. उभय पक्ष प्रकरण में हुए अपने–अपने व्यय को स्वयं वहन करेंगे । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ पक्षकारों को अलग से सूचित किया जाए ।

विद्युत लोकपाल